IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR.

F.D-01/2018

RAM KARAN RAI & ANOTHER.........................D.H.

VS

RAM BARAN RAI & OTHERS............................J.D.

18.03.20 डिक्रीदार की ओर से हाजिरी दी गई। पुकार पर डिक्रीदार के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। डिक्रीदार के आवेदन दिनांक--26.11.19 , अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

डिक्रीदार का कथन है कि टंकक भूलवश फाईनल डिक्री आवेदन में कुछ तथ्य अंकित होना छुट गया है, जिसे संशोधन के द्वारा फाईनल डिक्री आवेदन में लाया जाना आवश्यक है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद मदीउनान की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। प्रस्तावित संशोधन में मदीउन संख्या 22 ता 24, 25 ता 26 एवं 27 ता 28 के पेशरान का नाम जोड़ने की प्रार्थना की गई है, जो औपचारिक प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिक्रीदार का संशोधन आवेदन शपथ--पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार फाईनल डिक्री आवेदन--पत्र में संशोधन करें।

दिनांक 15.04.20 वास्ते दाखिल करने निर्गत सम्मन्।

अवर न्यायाधीश